



जालौन पुलिस



Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त योगेन्द्र सिंह पुत्र कैलाश नि0 ग्राम लमसर थाना कालपी जनपद जलौन द्वारा वादी की पुत्री के साथ की गयी घटना के सम्बन्ध में थाना कालपी में मु0अ0सं0 1102/11 (वाद संख्या- 100/12) धारा 498ए/304बी/306/302 भादवि एवं ¾ डीपी एकट में अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 12.03.2024 को स्पें जज ईसी कोर्ट उर्फ़, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त योगेन्द्र उपरोक्त को धारा 498 ए / 306 भादवि में दोषी पाते हुये 10 वर्ष का कठोर कारावास व 70,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

ADGC
क्रिमिनल संजीव
कुमार गुर्जर



कोर्ट पैरोकार कमल